न्यायालय,मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी/राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

1–अपील संख्या–20/2015–16 अन्तर्गत धारा–56 (4)स्टाम्प अधिनियम

विजय कुमार कुशवाह पुत्र मुरली मनोहर गोपाल, निवासी एम–40 न्यू हरिद्वार कालोनी, हरिद्वार।

बनाम

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता अपीलकर्ता : श्री सुनील कुमार त्यागी।

आदेश।

यह अपील अपीलकर्ता उपरोक्त ने कलेक्टर, स्टाम्प/अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, देहरादून द्वारा वाद संख्या–4 वर्ष 2013–14 सरकार बनाम विजय कुमार कुशवाह अन्तर्गत धारा–33 स्टाम्प अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 19–05–2017 के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उपरोक्त वाद में अपीलार्थी को कोई सूचना प्राप्त नही हुई है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी को बिना कोई सूचना दिये एकपक्षीय निर्णय दिनांक 19–05–2017 पारित कर दिये गये है जो कि न्यायोचित नही है क्योंकि दिनांक 31–07–2012 को अपीलार्थी एवं दि साऊथ इण्डियन बैंक लि0 शाखा, देहरादून के मध्य खातों के सैटलमेंट एवं लेनदारी–देनदारी स्पष्ट न होने के कारण वास्तविक लेनदारी व देनदारी के तय होने तक कुल राशि की सुरक्षा हेतु दो सम्पत्तियों के दस्तावेज बैंक को दिये थे जिन्हें बैंक द्वारा 100/– रू0 के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित कराया गया था जो 3, 24, 00,000/– रू0 की ऋण धनराशि सुरक्षा हेतु निष्पादित की गई थी, कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अवैध रूप से अपने निर्णय में मोर्गेज बाय डिपोजिट ऑफ टायटल डीड को अवैध रूप से बंधक विलेख मानते हुए कमी स्टाम्प शुल्क व अर्थदण्ड आरोपित किया गया है अतः आक्षेपित आदेश विधिविरूद्ध है तथा निरस्त होने योग्य है।

मैंने अपील की ग्राह्यता के सम्बन्ध में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित आदेश बिना उन्हे नोटिस निर्गत किये एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है जो कमी स्टाम्प शुल्क निकाला गया है वह विधिविरूद्ध आरोपित किया गया है।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलकर्ता को विद्वान स्टाम्प कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी, वित्त एव राजस्व, देहरादून के समक्ष ही पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था जो कि उनके द्वारा नही किया गया परन्तु प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्टतः विदित होता है कि आलोच्य स्टाम्प प्रकरण में अपीलकर्ता प्रतिभाग नही कर पाया है अर्थात् उसके द्वारा स्टाम्प कलेक्टर के समक्ष अपना पक्ष एवं उसके समर्थन में साक्ष्य नही प्रस्तुत किया जा सका है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुपालनार्थ अपीलकर्ता को आलोच्य स्टाम्प प्रकरण में सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसगंत है। इस सम्बन्ध में अतिकठोर व तकनीकी दृष्टिकोण न अपनाते हुए अपीलकर्ता को सुनवाई एवं पक्ष प्रदर्शन हेतु अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

उक्त स्थिति के दृष्टिगत अपील ग्राह्यता के स्तर पर ही स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 19–05–2017 को अपास्त करते हुए स्टाम्प प्रकरण विद्वान स्टाम्प कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही न्यून स्टाम्प का प्रकरण विधिवत निस्तारित किया जाए। अपीलकर्ता दिनांक 28–07–2017 को अवर न्यायालय में उपस्थित हो। पत्रावली संचित हो।

दिनांक :– 07–07–2017

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)/ मुख्य नियंत्रक,
राजस्व प्राधिकारी।